



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज०)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

दावा संख्या-31/2025

वाद प्रस्तुति दिनांक-01.04.2025


निर्णय दिनांक-08.10.2025

विमल मेहता पुत्र मोहन सिंह मेहता जाति महाजन निवासी डी-568, मालवीय नगर, जयपुर (राज०)

वादी

बनाम

1. चतुर्भुज पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
2. जगदीश पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
3. पोखर पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
4. लाडा पुत्री हरनाथ जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
5. गोविन्दराम पुत्र श्रीबक्षा जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
6. भंवरलाल पुत्र श्रीबक्षा जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
7. रामनिवास पुत्र श्रीबक्षा जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
8. रामलाल पुत्र श्रीबक्षा जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
9. भंवरी पुत्री श्रीबक्षा जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
10. मनफूल पुत्री श्रीबक्षा जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
11. सोभाग पुत्र श्रीबक्षा जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
12. रामजीलाल पुत्र बन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
13. कमलेश पुत्री बन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
14. रामघणी पुत्री बन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
15. रोडी पुत्री बन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
16. नाथी देवी पत्नि बन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
17. रामेश्वर पुत्र बदरी जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
18. वेदप्रकाश पुत्र बदरी जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
19. गणेशी पुत्री बदरी जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
20. धन्नी देवी पत्नि बदरी जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
21. फोरन्ता पुत्री बदरी जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)


उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)





22. मन्ना पुत्र बदरी जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
23. रूकमा पुत्री बदरी जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
24. रामजीवण पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
25. गणेश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
26. भरतराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
27. सोहन पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
28. कमला पत्नि रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
29. करमा पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
30. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज०)
31. उप पंजीयक पीपलू/रानोली जिला टोंक (राज०)
32. बडौदा राज० क्षेत्रिय बैंक राणोली, जरिये शाखा प्रबन्धक

अधिवक्ता वादी—श्री नन्दकिशोर शर्मा एड०

श्री हेमराज गुर्जर एड०

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 29, 32—अनुपस्थित

प्रतिवादीगण


दावा बाबत उद्घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92—ए व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद पत्र उनवानी विमल मेहता बनाम चतुर्भुज वगै० प्रकरण संख्या 31/2025 के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख०न० 67 रकबा 03-08 बीघा (0.8599 हैक्ट.), ख०न० 68 रकबा 00-08 बीघा (0.1012 हैक्ट.), ख०न० 69 रकबा 00-09 बीघा (0.1138) कुल कित्ता 03 कुल रकबा 04-05 बीघा वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा, तह० पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसके 1/2 हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार है। जिस पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2008 को खातेदार प्रतिवादीगण के पिता व दादा से उनका 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण खरीद किया है। तब से वादी उक्त भूमि के बदले 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में वादी


उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)



को आवश्यकता होने पर अपनी जमाबंदी निकलवाने पर जानकारी हुई की उक्त भूमि का नामान्तकरण वादी के नाम नहीं हुआ है तथा जमाबंदी में पूर्व विक्रेता रामजीवण पुत्र रामकरण व शेष विक्रेता के वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर बैंक का रहन दर्ज है। वादी ने अपने पक्ष में हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति लेकर तहसीलदार पीपलू के समक्ष उपस्थित हुआ, तो उन्होंने बताया की विक्रेतागण की मृत्यु हो चुकी है और जब तक भूमि रहन मुक्त नहीं हो जाती है, तब तक हम उक्त आराजीयात का नामान्तकरण वादी के नाम दर्ज नहीं कर सकते। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 29 से मिलकर उक्त भूमि को रहन मुक्त करवाने एवं रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने बाबत निवेदन किया गया, किन्तु प्रतिवादीगण ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। तत्कालीन खातेदारो द्वारा उक्त आराजीयात को वादी को विक्रय कर दिया था। इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात के खातेदारी अधिकार व स्वामित्व वादी के हक में निहित हो चुके थे, किन्तु वादी के हक में हुए विक्रय पत्र का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात भी बैंक के हक में रहन रख दी है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। इस कारण बैंक के हक में किया गया रहन का अंकन वादी के हितो के प्रति शून्य है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को विक्रय की गई उक्त भूमि ख0न0 67, 68, 69 पर जो ऋण लिया गया है। उसकी पूर्ति प्रतिवादीगण की अन्य अचल संपत्ति व भूमि पर रहन का आदेश दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादी का उक्त वर्णित खरीद शुदा आराजीयात का मालिक, काबिज, स्वामी है। इस कारण वादी को उक्त वर्णित आराजीयात ख0न0 67, 68, 69 वाके ग्राम इब्राहीमाबाद के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 29 के स्थान पर वादी के नाम का अंकन कराया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 29 का नाम अंकित है। पूर्व विक्रेतागण में केवल रामजीवण पुत्र रामकरण जीवित है, शेष विक्रेतागण की मृत्यु हो चुकी है। जिनकी विरासत का नामान्तकरण गलत रूप से उनके वारिसान के नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि उक्त भूमि बेचान करने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं रहता है। इस कारण उक्त विक्रय के पश्चात किये गये दस्तावेज/रहन वादी के हितो के विपरित एवं शून्य है। अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 29 बाबत उद्घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज पारित फरमायी जाकर वादपत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात ख0न0 67 रकबा 03-08 बीघा (0.8599 हैक्ट.), ख0न0 68 रकबा 00-08 बीघा (0.1012 हैक्ट.), ख0न0 69 रकबा 00-09 बीघा (0.1138) कुल किता 03 कुल रकबा 04-05 बीघा वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में वादी को अपने खरीद शुदा 1/2 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 29 का नाम हटाया जाकर वादी का नाम का अंकन करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जाकर प्रतिवादीगण को सदा


 उष खण्ड अधिकारी
 पीपलू (टॉक)




सद्वैव के लिए पाबन्द फरमाया जावे की वे स्वयं, जरिये एजेंट नाकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से उक्त वर्णित आराजीयात में मजामहत व मदाखलत नही करे। राजस्व रिकॉर्ड एवं मीके की यथास्थिती बनाये रखे तथा वादी के कब्जे काशत की उक्त वर्णित भूमि के उपयोग-उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नही करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 29 व 32 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड एडी. जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 29 व 32 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादी ने अपने वादी के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 01 स्वयं वादी विमल मेहता पुत्र मोहन सिंह मेहता जाति महाजन ने अपने शपथ पत्र में कथन किया की ख0न0 67 रकबा 03-08 बीघा (0.8599 हैक्ट.), ख0न0 68 रकबा 00-08 बीघा (0.1012 हैक्ट.), ख0न0 69 रकबा 00-09 बीघा (0.1138) कुल किता 03 कुल रकबा 04-05 बीघा वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में मुझ वादी का 1/2 हिस्सा है। जिस पर मैं काबिज होकर काशत करता रहा हूं। उक्त वर्णित आराजीयात को मुझ शपथकर्ता ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 28.06.2008 को तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 29 से उनका 1/2 हिस्सा खरीद किया है। तब से 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा हूं। उक्त आराजीयात का नामान्तकरण मुझ वादी के नाम नही हुआ है तथा जमाबंदी पूर्व विक्रेता के वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। न्यायालय में उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया है, जो डिक्री किये जाने योग्य है। तत्कालीन खातेदार द्वारा उक्त वर्णित भूमि को मुझ शपथकर्ता/वादी को विक्रय कर दिया था। इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात के खातेदारी अधिकार व स्वामित्व मुझ शपथकर्ता के हक में निहित हो चुके थे। किन्तु मुझ शपथकर्ता के हक में हुए विक्रय पत्र का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 29 ने उक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात भी अपने हक में नामान्तकरण दर्ज करवा लिया व उक्त भूमि बैंक के रहन रख दिया। जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही था। इस कारण उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि का रहन प्रतिवादी की अन्य भूमि पर दर्ज करते हुए शपथकर्ता वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने हेतु माननीय न्यायालय में वाद पेश किया है।

साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 02 शंकरलाल जाट पुत्र हजारी लाल जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद ने शपथ पत्र में कथन किया की ख0न0 67 रकबा 03-08 बीघा (0.8599 हैक्ट.), ख0न0 68 रकबा 00-08 बीघा (0.1012 हैक्ट.), ख0न0 69 रकबा 00-09 बीघा (0.1138) कुल किता 03 कुल रकबा 04-05 बीघा वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है, जो पूर्व में



उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)



प्रतिवादीगण के पिता के नाम अंकित थी। जिसको वादी ने लगभग 18 वर्ष पूर्व खरीद कर ली थी, तब से वादी का उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का भूमि को मैने दो वर्ष पूर्व आधोली पर काशत की थी। मुझे वादी द्वारा ही आधोली पर काशत करने हेतु दी गई थी। प्रतिवादीगण का उपरोक्त भूमि पर खरीद के पश्चात कभी कब्जा काशत नहीं रहा है।

साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 03 नन्दराम पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद ने शपथ पत्र में कथन किया की ख0न0 67 रकबा 03-08 बीघा (0.8599 हैक्ट.), ख0न0 68 रकबा 00-08 बीघा (0.1012 हैक्ट.), ख0न0 69 रकबा 00-09 बीघा (0.1138) कुल किता 03 कुल रकबा 04-05 बीघा वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है, जो पूर्व में प्रतिवादीगण के पिता व दादा के नाम अंकित थी। जिसको वादी ने लगभग 18 वर्ष पूर्व खरीद कर ली थी। तब से वादी का उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है तथा वर्तमान में भी वादी का ही कब्जा चला आ रहा है। मैं उक्त विवादित भूमियों का पडौसी खातेदार हूं। उक्त भूमियां मैने आधोली पर लेकर काशत की है।


अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 67, 68, 69 कुल किता 03 कुल रकबा 04-05 बीघा वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में स्थित है। जिसके 1/2 हिस्से का वादी खातेदार काशतकार है। जिस पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2008 को खातेदार प्रतिवादीगण के पिता व दादा से उनका 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण खरीद किया है। तब से वादी उक्त भूमि के बदले 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। वादी ने असल विक्रय पत्र नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी को दे दिया था, लेकिन वादी बाहर रहने के कारण समय पर अपने हक में हुए विक्रय पत्र का नामान्तकरण नहीं खुलवा सका। कुछ समय पश्चात विक्रेता हरनाथ पुत्र हरदेवा की मृत्यु हो गई, जिसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 826 दिनांक 09.01.2025 को विरासत से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के नाम दर्ज हो गयी। वह विक्रेता श्रीबक्शा पुत्र हरदेवा की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 708 दिनांक 17.05.2022 को प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 16 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। विक्रेता बदरी पुत्र रामकरण की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण 818 दिनांक 26.11.2024 को प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 23 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गयी। विक्रेता रामजीवण पुत्र रामकरण जीवित है। विक्रेता रामलाल पुत्र रामकरण की मृत्यु होने के पश्चात उनकी विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 25 लगायत 29 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। जबकि नियमानुसार भूमि का विक्रय होने के पश्चात क्रेता के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिए। क्योंकि भूमि का बेचान होते ही विक्रेता के समस्त हक अधिकार क्रेता में समाहित हो जाते हैं। इस


उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)



कारण पश्चातवृत्ति जो भी दस्तावेज हुए है, वे वादी के हितो के प्रतिकूल है। वादी ने वर्तमान समय में ऑनलाईन जमाबंदी होने पर अपनी भूमि की जमाबंदी देखी तो ज्ञात हुआ की उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं होकर प्रतिवादीगण के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तब वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। तब वादी ने माननीय न्यायालय में विक्रय के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया। जिसको माननीय न्यायालय ने दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादीगण तामिल होने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। वादी ने अपने साक्ष्य के समर्थन में स्वयं वादी, नन्दराम गुर्जर पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी इब्राहीमाबाद व शंकरलाल जाट पुत्र हजारी जाट निवासी इब्राहीमाबाद बयान दर्ज करवाये गये। स्वतन्त्र गवाहनो ने अपने बयानों में कथन किया की हम वादी व प्रतिवादीगण व उपरोक्त भूमि को जानते पहचानते है। उक्त भूमि पर वादी का ही कब्जा चला आ रहा है और वादी ही काशत करता चला आ रहा है। हमने भी उक्त भूमि को आधोली पर काशत की है, जो वादी के कहने पर ही की है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काशत नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर वादी ही काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। वादी ने उक्त वाद के साथ विक्रय पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत किया, जो रजिस्टर्ड विक्रय है। जिसको किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। उक्त दस्तोवज रजिस्टर्ड है, जो सन्देह से परे है। जब तक वादी के हक में हुआ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अस्तित्व में है, तो वादी के हक में अधिकारो को नकार नहीं सकते है, क्योंकि जब विक्रेता रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपने नाम भूमि का हस्तान्तरण कर देता है, तो उसके सारे हक अधिकार तुरन्त क्रेता में समाहित हो जाते है। प्रथम विक्रय पत्र हो जाने के बाद पश्चातवर्ती इन्द्राज शून्य होते है। वादी ने अपना वाद पत्र बखूबी दस्तावेजो व मौखिक बयानो से सिद्ध किया है तथा प्रतिवादी को नोटिस जारी करने के उपरान्त भी तामिल होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व मौखिक बयानो से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर खरीद के पश्चात वादी का ही कब्जा काशत चला आ रहा है। क्रेता का केवल नामान्तरण नहीं खुलने से उसको अपने हक अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता। क्योंकि नामान्तरण एक सरसरी कार्यवाही है। जिससे किसी के हक व अधिकार तय नहीं होते है। ऐसी स्थिती में वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वादी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है की वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान करे। वादी ने अपनी लिखित बहस के समर्थन में कानूनी नजीरे RRT 2016-17 Page 459, RRT 2011 (1) Page 159, RRT 2012 (1) Page 374, RRT 2011-12 (Sup) Page 498, RRT 2009-10 (Sup) Page 411 पेश की।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य विक्रय पत्र, साक्ष्य शपथ पत्रो का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता वादी की लिखित बहस पर मनन किया गया। उक्त


उप खण्ड अधिकारी
प्रीपलू (टॉक)



विक्रयपत्र पत्र क्रमांक 2008000592 उप पंजीयक पीपलू दिनांक 28.06.2008 द्वारा एक पंजीयक विक्रय पत्र है। जिसके अनुसार वादी को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 23 व प्रतिवादी संख्या 25 लगायत 29 के पिता/दादा/ससुर व प्रतिवादी संख्या 24 स्वयं द्वारा विलएवज मुबलिग 62,500 रुपये अक्षरे बांसठ हजार पांच रुपये मात्र में विक्रय कर दिया है यानि बेचान कर दिया है ओर विक्रित भूमि की एवज में समस्त राशि क्रेतागण से नगद बाला बाला रूबरू गवाहन मौके पर प्राप्त कर ली है। अब क्रेतागण से भी कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है। क्रेतागण से राशि नकद प्राप्तकर मौके पर कब्जा मालिकाना वास्तविक रूप से मौके पर जाकर चारो ओर की सीमाये बताकर कब्जा क्रेतागण को संभला दिया है। आज से क्रेतागण उक्त विक्रित भूमि की संयुक्त रूप से मालिक, स्वामी हो चुका है। विक्रय पत्र में पूर्व प्रतिफल राशि दिये जाने का अंकन है। वादी/क्रेता एक सद्भावी क्रेता है। विक्रयपत्र उप पंजीयक पीपलू द्वारा दिनांक 28.06.2008 रूबरू गवाहन विधिवत् पंजीबद्ध किया गया हैं। उक्त विक्रय पत्र किसी न्यायालय द्वारा अभी तक शून्य घोषित नहीं किया गया है। प्रस्तुत कानूनी नजीरे प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होती है। इस कारण वादी विवादित आराजीयात ख0न0 67, 68, 69 कुल कित्ता 03 कुल रकबा 04-05 बीघा हिस्सा 1/2 वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा के खातेदारी पाने के हकदार है। अंतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि भूमि आराजी ख0न0 67 रकबा 03-08 बीघा (0.8599 हैक्ट.), ख0न0 68 रकबा 00-08 बीघा (0.1012 हैक्ट.), ख0न0 69 रकबा 00-09 बीघा (0.1138) कुल कित्ता 03 कुल रकबा 04-05 बीघा वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में वादी को मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपलू उक्त विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से को रहन मुक्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 29 का नाम विलोपित कर मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम का अंकन करे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 29 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से वादी की उक्त वर्णित खरीदशुदा आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। मजामहत व मंदाखलत नहीं करे। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(गणराज बडगोती आइ.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पंचिला (सौंके) राज0

डिक्री मुकदमा इत्दाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)
ब अलजास गणराज बडगोती आर0ए0एस0

विमल मेहता पुत्र मोहन सिंह मेहता जाति महाजन निवासी डी-568, मालवीय नगर, जयपुर (राज0)

वादी

बनाम


चतुर्भुज पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
(कुल कस 32) प्रतिवादीगण

मुकदमा न0 31 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू. मुझ गणराज बडगोती उपखण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी श्री नन्दकिशोर शर्मा एड0, श्री हेमराज गुर्जर एड0 मिनजानिब मुद्ई रुबरू प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 29 व 32 अनुपस्थित मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाकर व डिक्री दी जाती है की भूमि आराजी ख0न0 67 रकबा 03-08 बीघा (0.8599 हैक्ट.), ख0न0 68 रकबा 00-08 बीघा (0.1012 हैक्ट.), ख0न0 69 रकबा 00-09 बीघा (0.1138) कुल कित्ता 03 कुल रकबा 04-05 बीघा वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में वादी को मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपलू उक्त विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से को रहन मुक्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 29 का नाम विलोपित किया मुताबिक निर्णय अनुसार जाकर वादी का नाम का अंकन करे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 29 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह

वियं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से वादी की उक्त वर्णित धरीदारी आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। मजामहत व मदाखलत नहीं




उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

निजी मबलिक बाबत
 मुकदमे का मय सूद चगेरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी
 तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 08.10.2025 को जारी की गई।



मोहर

दस्तखत
 उप खण्ड अधिकारी
 ओहदा वीपलू (टॉक)

मुददई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।